

निर्णय बर्डजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड  
(राजस्थान)

मिसल न0 27/प्रा0पत्र/21

“एयू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड”(जो पूर्व में ‘एयू. फाईनेन्स(इंडिया)लिमिटेड’ के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए.धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड,जयपुर में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

01. राकेश राठौर पुत्र किशन राठौर (ऋणी/बन्धनकर्ता)  
पता: 217 कृषि कॉलोनी मंडावी भवानी मण्डी झालावाड  
दूसरा पता: प्लॉट न0 बी 33 कृष्णा नगर ग्राम, सुमेर कॉलोनी, भवानी मण्डी तहसील पचपहाड  
जिला झालावाड
02. श्रीमति कुसुमलता राठौर पत्नी राकेश राठौर  
पता: 217 कृषि कॉलोनी मंडावी भवानी मण्डी झालावाड
03. श्रीमती धांपू बाई राठौर पत्नी कृष्ण राठौर  
पता: 217 कृषि कॉलोनी मंडावी भवानी मण्डी झालावाड



प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

—: निर्णय :—

दिनांक: 30.11.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ज अधिकृत प्रतिनिधि सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 10.02.2017 को रूपये 12,00,000/- का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में राकेश राठौर पुत्र किशन राठौर की सम्पत्ति प्लॉट न0 बी 33 कृष्णा नगर ग्राम, सुमेर कॉलोनी, भवानी मण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 स्क्वायर फीट जिस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 12.10.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.04.2021 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 12,73,262 (अक्षरे बारह लाख तहत्तर हजार दौ सौ बासठ मात्र) दिनांक 02.04.2021 तक शेष हैं व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी सिक्वोरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 12.10.2020 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रूपये 12,73,262 (अक्षरे बारह लाख तहत्तर हजार दौ सौ बासठ मात्र दिनांक 02.04.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्च हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है— बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत राकेश राठौर पुत्र किशन राठौर की सम्पत्ति प्लॉट न0 बी 33 कृष्णा नगर ग्राम, सुमेर कॉलोनी, भवानी मण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 स्क्वायर फीट जिस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में राजेन्द्र सिंह का मकान,पश्चिम में रास्ता,उत्तर में गली,दक्षिण में रास्ता उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक झालावाड को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड